निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1938 (श0)

(सं0 पटना 546) पटना, वृहस्पतिवार, 30 जून 2016

सं० 2/सी0–3–30209/2005–2313–सा0प्र0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

11 फरवरी 2015

श्री अरशद अली, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–540/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–117 दिनांक 27.01.2006 द्वारा प्राप्त अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति, कर्त्तव्योपेक्षा, आदेश अवहेलना, प्रखण्ड परिसर में हरे रबर के पेड़ को काटने, इंदिरा आवास योजना में अनियमितता एवं राशि गबन तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में अनियमितता बरतने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के लिए श्री अली से विभागीय पत्रांक–2126 दिनांक 04.03.2006 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

श्री अली ने पत्रांक–18 दिनांक 31.08.2006 द्वारा समर्पित अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि दिनांक 01.10.2001 एवं 02.10.2001 को प्रखण्ड मुख्यालय में ही उपस्थित रहकर उन्होंने अपनी निगरानी में पाण्डुलिपि लेखन का कार्य कराया है। दिनांक 15.12.2001 को प्रखण्ड मुख्यालय स्थित अपने वैश्म में अन्य सदस्यगण के साथ वे भी उपस्थित थे। अनुमण्डल पदाधिकारी के अपराह्न 2 बजे तक उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप सभी उपस्थित सदस्य 2.30 बजे बैठक से चले गये। पत्राांक–1307 दिनांक 20.12.2001 के संबंध में इनका कहना है कि अचानक अस्वस्थ हो जाने के कारण वे बैठक में भाग नहीं ले सके थे किन्तु वे मुख्यालय में ही उपस्थित थे। दिनांक 23.02.2002 एवं 24.02.2002 को दो दिन के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के उपरांत मुख्यालय से बाहर आवश्यक कार्य हेतु गये। पत्रांक–655 दिनांक 05.06.2002 एवं पत्रांक–848 दिनांक 23.07.2002 के प्रसंग में उन्होंने कहा कि उक्त अवधि में वे मुख्यालय में उपस्थित थे तथा सरकारी कार्यों का निष्पादन किये हैं। दिनांक 18.08.2002 एवं 19.08.2002 को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवकाश की स्वीकृति एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति का आवेदन देकर मुख्यालय से बाहर गये थे। दिनांक 04.11.2001 को बेला स्थित एन.एच. जाम को हटाने के लिए वे मोतिहारी में थे इसलिए धरमिनिया रेलवे स्टेशन पर अंचल अधिकारी की प्रतिनियुक्ति विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गयी। वे मोतिहारी से लौटकर घटना स्थल पर गये एवं ग्रामीणों के साथ क्षेत्र भ्रमण करने के उपरांत जन श्रमदान से लगभग 600 मीटर लंबाई में टूटे हुये बांध का पुनर्निर्माण कराया। उनकी पहल पर कई टूटे हुये तटबंधों का जन सहयोग श्रमदान से पुनर्निर्माण कराया गया। दुर्गा पूजा के

अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु वे लगातार मुख्यालय में उपस्थित रहे। वर्ष 2002–03 में किये गये राहत वितरण का व्यय विवरणी, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0ए0 विपत्र जाँचोपरांत उनके द्वारा भेज दिया गया था। रक्सौल नगरपालिका के वार्ड गठन परिसीमन के अवसर पर निर्धारित तिथि पर उपस्थित रहकर प्राप्त दावा आपत्ति संबंधी आवेदन पत्रों का निष्पादन ससमय किया गया है। वे प्रखण्ड में निरंतर उपस्थित रहकर फोटो पहचान पत्र का निर्माण कार्य कराने के उपरांत प्रतिवेदन प्रेषित किये हैं। वर्ष 2002 में अचानक आयी बाढ़ से प्रखण्ड कार्यालय सहित प्रखण्ड के समस्त सरकारी आवास में पानी प्रवेश करने के कारण आवास परिसर में लगा रबड़ का पेड़ एवं अन्य पौधे सूख गये थे जिसे वहाँ से साफ करवाकर हटा दिया गया। इन्दिरा आवास योजना के तहत् लाभार्थियों का चयन स्थानीय मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा द्वारा किया जाता था तथा ग्राम सभा द्वारा पारित लाभार्थियों की सूची प्रखण्ड कार्यालय भेजी जाती थी। प्राप्त सूची की जाँच पंचायत सेवक एवं पर्यवेक्षक द्वारा करायी जाती थी तथा जाँचोपरांत प्राप्त सूची के लाभार्थियों को इसी पंचायत में आयोजित शिविरों में चेक के माध्यम से भुगतान उनके द्वारा किया जाता था। प्रखण्ड कार्यालय के कमरे में रक्षित सुनिश्चित रोजगार योजना स्ट्रीम 1 एवं 2 का चावल उठाव होने के पूर्व अप्रत्याशित बाढ़ का पानी कार्यालय में प्रवेश कर जाने से निचली दो छल्लि चावल की बोरियां पूर्णतः नष्ट हो गयी।

श्री अली के उपर्युक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मातिहारी से विभागीय पत्रांक 10597 दिनांक 18.10.2006 द्वारा मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी द्वारा श्री अली के स्पष्टीकरण पर अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल से मंतव्य की अपेक्षा की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल के पत्रांक–394 दिनांक 12.05.2009 द्वारा जिला पदाधिकारी को प्रेषित मंतव्य में आरोप सं0–4 के स्पष्टीकरण को छोड़कर शेष सभी आरोपों से संबंधित स्पष्टीकरण को असंतोषजनक प्रतिवेदित किया गया। जिला पदाधिकारी, मोतिहारी के पत्रांक–243 दिनांक 02.06.009 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल के मंतव्य से वे सहमत हैं।

जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त उपर्युक्त मंतव्य के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6951 दिनांक 20.07.2009 द्वारा श्री अली के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–206 दिनांक 28.01.2014 द्वारा प्राप्त आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में सभी छः आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय पत्रांक–5816 दिनांक 30.04.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के उपर्युक्त जाँच प्रतिवेदन के संबंध में श्री अली से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (3) के संगत प्रावधानों के तहत् प्रमाणित आरोपों के लिए अभ्यावेदन की मांग की गयी। किन्तु श्री अली द्वारा अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया।

आरोप पत्र, श्री अली के स्पष्टीकरण, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के बाद यह पाया गया कि संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध श्री अरशद अली द्वारा अभ्यावेदन समर्पित नहीं किये जाने से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री अली को कुछ नहीं कहना है। जिससे यह स्पष्ट है कि श्री अली के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित है।

वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अली के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के प्रावधानों के तहत् **''निन्दन एवं संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक''** का दण्ड निरूपित करने का विनिश्चय किया गया।

उपर्युक्त दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 13360 दिनांक 23.09.2014 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी। उक्त के प्रसंग में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2239 दिनांक 24.12.2014 द्वारा प्रस्तावित दंड को आनुपातिक नहीं मानते हुए विभागीय दंड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गयी।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा प्रस्तावित दंड आनुपातिक नहीं होने के संबंध में स्पष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि श्री अली के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही संचालनोपरांत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों पर समीक्षोपरांत उपरोक्त दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा समर्पित परामर्श/अभिमत से असहमत होते हुए निरूपित दंड **''निन्दन एवं संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक''** को पूर्ववत् बरकार रखने का विनिश्चय किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अरशद अली, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–540/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति निदेशक, लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दण्ड दिया एवं संसूचित किया जाता है–

(क) निन्दन (वर्ष 2003–04)।

(ख) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 546-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in